प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील सं. 785/2025

प्रहल्लाद प्रसाद राठौर, पिता- बोधन सिंह, आयु- लगभग 40 वर्ष, निवासी- ग्राम व पोस्ट- लालपुर, तहसील- पेण्ड्रा रोड, जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़।

----- अपीलार्थी

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. निदेशालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, द्वारा- निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री पंकज सिंह

प्रत्यर्थियों/ राज्य की ओर से : श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिंहा, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

द्वारा- श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

03.11.2025

1. अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता ने इस रिट अपील को इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (सेवा) सं. 2823/2024 में दिनांक 07.01.2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया है, जिसके द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 30.08.2018 के आदेश के अधीन खाद्य निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था [यह पद पूर्व सैनिकों (सामान्य) के लिए आरक्षित था]। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर, उसने सेवा ग्रहण कर ली। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (जिन्हें संक्षेप में 'नियम, 1961' कहा जाएगा) के नियम 6 के प्रावधानों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 (जिन्हें संक्षेप में 'नियम, 1966' कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 15.03.2024 के आदेश द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। इसके विरुद्ध अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता ने माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। पक्षों को सुनने के बाद, माननीय एकल पीठ ने दिनांक 07.01.2025 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसमें माननीय एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

> "25. मांगी गई जानकारी में कोई अस्पष्टता नहीं है, बल्कि पैराग्राफ 12 और उसमें उल्लिखित खंडों में इसे स्पष्ट भी किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता, जो एक पूर्व सैनिक था, ने जान-बूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया। इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसार, यदि याचिकाकर्ता के किसी आपराधिक मामले में शामिल होने और उसके बरी होने या दोषी ठहराए जाने की सही

जानकारी का खुलासा किया गया होता, तो नियुक्ति प्राधिकारी नियमों और परिपत्रों के आधार पर इस बात पर विचार कर सकता था कि क्या पंजीकृत अपराध/जुर्म 'नैतिक अधमता' की श्रेणी में आता है या नहीं, और तदनुसार याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता का निर्धारण कर सकता था। इस चरण पर, न्यायालय को याचिकाकर्ता के विरुद्ध पंजीकृत अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं करना है, बल्कि सत्यापन प्रपत्र में सही तथ्यों का खुलासा न करने के जान-बूझकर किए गए प्रयास पर विचार करना है। अतः, मामले के उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, भले ही याचिकाकर्ता ने 05 वर्ष से अधिक की काफी लंबी अवधि तक कार्य किया हो, फिर भी 'साम्य' उसके पक्ष में नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उपर्युक्त चर्चाओं के आधार पर, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और जारी किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मैं याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने के संबंध में प्रतिवादी की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ। तदनुसार, यह रिट याचिका गुण-दोष रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है, और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।"

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की प्रतिवादियों की कार्रवाई अपने आप में मनमानी है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। उन्होंने तर्क दिया कि 15.03.2024 की बर्खास्तगी का आदेश जारी होने से पहले, सुनवाई का कोई भी अवसर बिल्कुल नहीं दिया गया था। इसलिए, 15.03.2024 का बर्खास्तगी का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से ग्रस्त है; बर्खास्तगी का आदेश नियुक्ति के लगभग 06 साल बाद जारी किया गया था। याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने वाला विवादित आदेश पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था, जो पुलिस महानिरीक्षक,

रायपुर का 02.05.2022 का एक पत्र है, जिसमें यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता का चरित्र सरकारी सेवा के लिए अयोग्य और अनुपयुक्त पाया गया। राज्य सेवाओं में फॉर्म जमा करने और शामिल होने से पहले, याचिकाकर्ता भारतीय नौसेना में था और उसका सेवा रिकॉर्ड बेदाग था। भारतीय नौसेना से सम्मानजनक रूप से मुक्त होने के बाद, वह खाद्य निरीक्षक के पद के लिए खुली भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सेवाओं में शामिल हुआ। उसका चयन हुआ और उसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया गया।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि भारतीय नौसेना के सेवा रिकॉर्ड और समिति द्वारा जारी मुक्ति प्रमाण पत्र के अनुसार, भारतीय नौसेना में सेवा की पूरी अवधि के दौरान अपीलकर्ता के चरित्र का मूल्यांकन "अनुकरणीय" के रूप में किया गया था। याचिकाकर्ता का मूल्यांकन "बहुत अच्छा" के रूप में किया गया था और उसे वर्ष 2007, 2011 और 2015 के लिए "सदाचार बैज" से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने दलील दी कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट दो आपराधिक मामलों पर आधारित थी, जो अपीलकर्ता के विरुद्ध तब दर्ज किए गए थे जब वह अभी नाबालिग था, और वह भी भारतीय नौसेना सेवा में शामिल होने से पहले। उक्त अपराध प्रकृति में जघन्य नहीं हैं। उपर्युक्त अपराध पड़ोसी के साथ विवाद के एक मामूली मुद्दे पर दर्ज किया गया था। शिकायत न केवल अपीलकर्ता के विरुद्ध, बल्कि उसके पिता और माता सहित पूरे परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। अधिवक्ता साहब के अनुसार, कथित घटना के समय अपीलकर्ता 'विधि के साथ संघर्षरत बच्चा' (विधि से संघर्षरत् बालक) था, और इस नाते वह 'किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015' (जिसे आगे 'अधिनियम, 2015' कहा जाएगा) की धारा 24(1) के लाभ का हकदार है; यह धारा विधि से संघर्षरत् बालक के विरुद्ध किसी भी दोषसिद्धि या आपराधिक कार्यवाही से जुड़ी सभी अयोग्यताएँ हटा देती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उन्होंने दलील दी कि आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी, अपीलकर्ता ने लगभग 15 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा की है, और उसकी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की

श्रेणी "बहुत अच्छी" रही है। प्रतिवादी अधिकारियों को अपीलकर्ता के मामले पर नरमी से विचार करना चाहिए था, भले ही अपीलकर्ता, किसी भी कारण से, उन आपराधिक मामलों का विवरण देने में विफल रहा हो जिनमें उसे वर्ष 2007 में बरी कर दिया गया था— यानी, 'खाद्य निरीक्षक' के पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा करने से पहले। अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8 एस.सी.सी. 471, तथा रविंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024) 5 एस.सी.सी. 264 मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी/राज्य के अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दलील का पुरजोर विरोध किया, और यह तर्क दिया कि अपीलकर्ता निस्संदेह उन आपराधिक मामलों में शामिल था जो 21.08.2002 को दर्ज किए गए थे; ये मामले भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 323 और 294 (धारा 34 के साथ पठित) के अधीन दंडनीय अपराधों से संबंधित थे। उक्त आपराधिक मामला 23.09.2007 के आदेश के माध्यम से 'लोक न्यायालय' में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते से निपटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, और उस पर आरोप भी तय किए गए थे। याचिका के साथ जमा किए गए आर. आर. रजिस्टर की प्रति से पता चलता है कि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294, 342, 506 (भाग **II**), 324/34 के अधीन लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था। नियुक्ति आदेश में विशेष रूप से खंड **III** शामिल है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी पाई जाती है, तो उम्मीदवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा; यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया गया है। अपीलकर्ता ने अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया है, जिनमें उस पर अपराध का आरोप लगाया गया था और बाद में, पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर लोक न्यायालय द्वारा उसे आरोपों से बरी कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने सत्यापन फॉर्म में आपराधिक मामले के पंजीकरण का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खुलासा नहीं किया है, और इसलिए, अपीलकर्ता ने आपराधिक मामले के पंजीकरण के महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है - यानी, अपीलकर्ता के विरुद्ध दो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई थीं, और दोनों प्रथम सूचना प्रतिवेदन में, आपराधिक मामले पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर समाप्त हो गए थे; लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अपीलकर्ता सही और निष्पक्ष जानकारी देने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो गया है, जबकि सत्यापन फॉर्म के खंडों के अनुसार उसे यह जानकारी देना अनिवार्य था। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मामले के तथ्यों को देखते हुए, कोई आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर न देने का आधार एक व्यर्थ का प्रयास होगा, क्योंकि अपीलकर्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि बताए गए तथ्य सही हैं। इसलिए, उनका यह भी तर्क है कि जिस अपराध के लिए अपीलकर्ता पर आपराधिक मुकदमा चला, उसमें 'नैतिक अधमता' शामिल है, क्योंकि न्यायालय द्वारा उसे सम्मानपूर्वक बरी नहीं किया गया था; अतः, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में मांगी गई राहत (राहतों) के लिए कोई आधार नहीं बनता है। अपने तर्क के समर्थन में, प्रतिवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने **सतीश चंद्र यादव बनाम भारत संघ और अन्य (2023) 7 एस.सी.सी. 536**, तथा **जैनेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (प्रधान सचिव, गृह के माध्यम से) और अन्य (2012) 8 एस.सी.सी. 748** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलें सुनी हैं और रिट अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है।

9. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि 15.03.2024 का सेवा समाप्ति आदेश, और साथ ही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 07.01.2025 को पारित आदेश, विधि की दृष्टि से मान्य नहीं हैं। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आदेश में जिन आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है, वे वर्ष 2002 की घटनाओं से संबंधित हैं, जब अपीलकर्ता नाबालिग था; और ये दोनों मामले वर्ष 2007 में ही, यानी 2018 में

राज्य सरकार की सेवा में शामिल होने से काफी पहले, या तो बरी होने या लोक न्यायालय के समक्ष समझौते के साथ समाप्त हो गए थे। अतः, सत्यापन फॉर्म जमा करने और नियुक्ति की तिथि पर, अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई भी लंबित आपराधिक कार्यवाही या अयोग्यता मौजूद नहीं थी।

10. अपीलकर्ता के चरित्र को "अयोग्य" घोषित करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा ऐसे पुराने और सुलझे हुए मामलों पर भरोसा करना पूरी तरह से मनमाना है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अवतार सिंह बनाम भारत संघ (2016) 8 एस.सी.सी. 471** और **रवींद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) 5 एस.सी.सी. 264** में प्रतिपादित सुस्थापित विधि के विपरीत है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मामूली या लंबे समय से समाप्त हो चुके मामलों - विशेष रूप से वे मामले जिनमें बरी कर दिया गया हो - का खुलासा न करना, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना नहीं माना जा सकता जिसके आधार पर सेवा समाप्त की जाए। इसके अलावा, यह देखते हुए कि कथित अपराधों के समय अपीलकर्ता एक विधि से संघर्षरत् बालक (विधि के साथ संघर्षरत बच्चा) था, वह 2015 के अधिनियम की धारा 24(1) के लाभ का हकदार है, जो विधि से संघर्षरत् बालक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में दोषसिद्धि से जुड़ी सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर देती है। भारतीय नौसेना में अपीलकर्ता का पंद्रह वर्षों का बेदाग रिकॉर्ड - जहाँ उसके आचरण को "अनुकरणीय" और "बहुत अच्छा" दर्जा दिया गया था - सार्वजनिक सेवा के लिए उसकी ईमानदारी और उपयुक्तता को और अधिक पुष्ट करता है। अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त करने की प्रतिवादियों की कार्रवाई, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन निष्पक्षता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती।

11. कथित अपराध के समय अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता एक 'बालक') था। "बालक" शब्द को 2015 के अधिनियम की धारा 2(12) में परिभाषित किया गया है। इसका उद्धरण नीचे दिया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2(12) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

12. 2015 के अधिनियम की धारा 24, किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर अयोग्यता को हटाने के संबंध में बात करती है, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है:-

24. किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर निरर्हरता का हटाया जाना- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्यबात के होते हुए भी, कोई बालक, जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जो चुकी है किसी ऐसी निर्हरता से, यदि कोई हो, ग्रस्त नहीं होगा, जो ऐसी विधि का उल्लंघन किया है, उपधारा (1) खण्ड (i) के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न हो:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु उस बालक कि दशा में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है और बालक न्यायालय की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अधीन उसके बारे में यह निष्कर्ष है कि उसने विधि का उल्लंघन किया है, उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(2) बोर्ड, पुलिस को, या बालक न्यायालय या अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निर्देश देते हुए आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि से सुसंगत अभिलेख, यथास्थिति, अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो विहित की जाए, समाप्त होने के पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे:

परंतु किसी जघन्य अपराध की दशा में, जहाँ बालक के बारे में यह पाया जाता है कि उसने धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अधीन विधि का उल्लंघन किया है, ऐसे बालक की दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेखों को बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित रखा जाएगा।

13. चूंकि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता कथित अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु का था, इसलिए उसे विधि से संघर्षरत् बालक (विधि के साथ संघर्षरत बच्चा) माना जाना चाहिए था। "विधि के साथ संघर्षरत बच्चा" को 2015 के अधिनियम की धारा 2(13) के अधीन भी परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा इस प्रकार है:-

> 2(13) **"**विधि का उल्लंघन करने वाला बालक**"** से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

14. 2015 के अधिनियम की धारा 24 को इसलिए शामिल किया गया है ताकि एक विधि से संघर्षरत् बालक को बिना किसी कलंक के अपना जीवन जीने का अवसर मिल सके और उसके अतीत की परिस्थितियों को मिटाया जा सके। इस प्रकार, यह प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने के कारण एक विधि से संघर्षरत् बालक को किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तारीख को कथित अपराध किया गया था, उस तारीख को "विधि से संघर्षरत् बालक" के रूप में पहचाने गए व्यक्ति के साथ 2015 के अधिनियम के अधीन ही व्यवहार किया जाना आवश्यक है; यह अधिनियम घोषित करता है कि जिन व्यक्तियों को "विधि से संघर्षरत् बालक" के रूप में वर्णित किया गया है, उनके विरुद्ध सभी आपराधिक आरोपों का निर्णय अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरणों, यानी **JJ** बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यदि **JJ** बोर्ड द्वारा दोषसिद्धि दर्ज की जाती है, तो 2015 के अधिनियम की धारा 24(1) विशेष रूप से यह निर्धारित करती है कि विधि से संघर्षरत् बालक को इस विधि के अधीन किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने से जुड़ी किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, 2015 के अधिनियम की धारा 24(2) यह परिकल्पना करती है कि बोर्ड को एक आदेश पारित करना चाहिए, जिसमें यह निर्देश दिया जाए कि ऐसी दोषसिद्धि से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संबंधित सभी प्रासंगिक अभिलेखों को अपील की अवधि समाप्त होने के बाद, या नियमों के अनुसार निर्धारित कारणों के आधार पर (जैसा भी मामला हो), हटा दिया जाए।

15. **शिवम् मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (10.04.2020 को पारित विशेष अपील सं. 1136/2018)** में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी समान दृष्टिकोण अपनाया है।

16. उपरोक्त विवेचन के आलोक में तथा विधि के सुस्थापित सिद्धान्त को लागू करते हुए, यह न्यायालय अपील को सारवान पाती है। तदानुसार अपील **स्वीकार** की जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 07.01.2025 दिनांकित आक्षेपित आदेश तथा 15.03.2024 दिनांकित सेवा समाप्ति के आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। परिणाम होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(बिभू दत्त गुरु)

न्यायाधीश

सही/-

(रमेश सिन्हा)

न्यायाधीश

शीर्ष टिप्पण

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 24(1) का लाभ विधि से संघर्षरत् बालक को दिया जाना है, जो उसके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही से संबंधित सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर देता है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur